

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए यह प्रतिवेदन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण, जो वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे तथा वे, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे, उल्लिखित हैं; 2022-23 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।